

## न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान  
आई.ए.एस.

अपील संख्या 20/2021

नरेन्द्र पुत्र आशाराम, जाति गुर्जर, निवासी वार्ड नं0 22, गंगा कालोनी, विधा विहार पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनू राज0।

--- अपीलान्त

### बनाम

1. पार्वती पत्नि रामरख, जाति जाट, निवासी वार्ड नं0 22, गंगा कालोनी, विधा विहार पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनू राज0।
2. निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी ( एस0डी0एम0 ), सूरजगढ, जिला झुंझुनू।

--- रेस्पोजेन्ट

अपील अध्याय 17 बी राजस्थान नगर पालिका रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टरस आर्डर 1974 अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 15.01.2021 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ( एस0डी0एम0 ) सूरजगढ बाबत हटाये जाने नाम वार्ड नं0 22, क0स0 308 नगर पालिका विधा विहार पिलानी।

### उपस्थित

1. श्री विरेन्द्र कुमार सीगड, एडवोकेट- अपीलान्त की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोजेन्ट की ओर से

### आदेश

दिनांक 17.02.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ( एस0डी0ओ0 ) सूरजगढ के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्त के अनुसार अपीलान्त ने रेस्पोजेन्ट नं0 1 का नाम वार्ड नं0 22 क0स0 308 नगर पालिका विधा विहार पिलानी की निर्वाचक नामावली से हटावाये जाने हेतु निवेदन रेस्पोजेन्ट नं0 2 से किया। अपीलान्त के उक्त प्रार्थना पत्र को रेस्पोजेन्ट नं0 2 ने अस्वीकार कर दिया इस कारण यह अपील इस प्रकार पेश है कि अदालत मातहत का निर्णय विरुद्ध कानून है। अदालत मातहत रेस्पोजेन्ट नं0 2 ने अपीलान्त की शिकायत के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्त ने अपने आक्षेप के समर्थन मे कहा है कि रेस्पोजेन्ट सं0 1 का नाम वार्ड नं0 22 गंगा कॉलोनी विधा विहार पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू ( राज0 ) की मतदाता सूची के क्रम संख्या 308 पर पटवारी व अधिशाषी अधिकारी से साज कर गलत रिपोर्ट बनवाकर जुडवा लिया है

जिला कलक्टर झुंझुनू

जबकि रेस्पोजेन्ट नं० 1 वार्ड नं० 22 मे निवास नही करती है तथा रेस्पोजेन्ट नं० 2 ने बिना आधार के गलत आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर रेस्पोजेन्ट नं० 1 का नाम वार्ड सं० 22 की क्र०स० 308 नगर पालिका विघा विहार पिलानी की निर्वाचक नामावली से हटाया जाने का आदेश दिया जावे।


उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत रेस्पोजेन्ट नं० 2 ने अपीलान्ट की शिकायत के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने अपने आक्षेप के समर्थन में कहा है कि रेस्पोजेन्ट सं० 1 का नाम वार्ड नं० 22 गंगा कॉलोनी विघा विहार पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू ( राज० ) की मतदाता सूची के क्रम संख्या 308 पर पटवारी व अधिशाषी अधिकारी से साज कर गलत रिपोर्ट बनवाकर जुडवा लिया है जबकि रेस्पोजेन्ट नं० 1 वार्ड नं० 22 मे निवास नही करती है तथा रेस्पोजेन्ट नं० 2 ने बिना आधार के गलत आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर रेस्पोजेन्ट नं० 1 का नाम वार्ड सं० 22 की क्र०स० 308 नगर पालिका विघा विहार पिलानी की निर्वाचक नामावली से हटाया जाने का आदेश दिया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ( वकील रेस्पोजेन्ट सं० 2 ) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्कों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद बाहर है। अपीलान्ट द्वारा निर्वाचन नियमों के तहत उक्त अपील नियमानुसार अदालत मातहत के आदेश के विरुद्ध 15 दिवस मे इस न्यायालय मे करनी चाहिए थी। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 15.01.2021 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का नाम निर्वाचन नामावली में जोड़े जाने के आवेदन को स्वीकार किया है। उक्त के संबंध में अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का नाम निर्वाचन नामावली में झुटी रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया है। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के राशन कार्ड में पता पिलानी दर्ज है। अदालत मातहत ने रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का आवेदन पिलानी का निवासी मानते हुये स्वीकार किया है। अपीलान्ट ने रेस्पोजेन्ट का स्थानिय निवासी नही होने का तथा अन्यत्र निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज होने का कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उसके कथनों की पुष्टि की जा सकें। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार No amendment, transposition or deletion of any entry shall be made and no direction for the inclusion of a name in the electoral roll of a Ward shall be given, after the last date for making nominations for an election in that ward and before the completion of that election. उक्त निर्देशों के परिपेक्ष में वर्तमान में निर्वाचन नामावली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट की अपील सारहीन हो चुकी है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दपतर हो।

आदेश आज दिनांक 17.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
दिनेश दीन खान  
जिला कलक्टर,  
झुंझुनू  
17/02/21